सहभागी शामलात प्रबंधन (सांप–सीढ़ी खेल)

EUROPEAN UNION

उन्नति UNNATI

64	63 गांव के लोग जान गए हैं कि चारागाह विकास से ही खेती और पशुपालन में लाभ होगा।	62 चारागाह बंजर भूमि में बदल गया है।	61 चारागाह, नाडी, आगौर की सफाई और रख–रखाव के लिए गांव के लोग नियमित श्रमदान करते हैं जिसमें हर परिवार की सहभागिता होती है।	60 स्थानीय घास और पौधों से जैव विविधता पनप रही है। खेती को लाभ पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव चारागाहों में सुरक्षित हैं। खेती के समय फसलों को लाभ देते हैं।	59	58	57 गांव के लोगों को महात्मा गांधी नरेगा से पूरा काम, पूरा दाम मिलेगा। पानी व चारा वाले संसाधनों का विकास होने से उनका लाभ भी गांव को ही मिलेगा।
49 ग्राम चारागाह विकास समिति ने पशुओं की गणना कर अतिरिक्त भूमि आवंटन का प्रस्ताव दिया है।	50 समुदाय को अपने शामलात जमीनों के आकार का ज्ञान है। अतिक्र नहीं होता। ग्रामसभा में भूमि के नियोग पर चर्चा होती है।	51 चारागाह पर अतिक्रमण से आकार घट रहा है।	52 जल स्रोतों के संरक्षण और प्रबंधन को लेकर बनी परंपराएं भूल चुके हैं।	53	54 गांव की गौचर, औरण भूमि में स्थानीय घास, पौधों व वृक्षों की प्रजातियां लगाने, नमी को बचाने का काम ग्राम पंचायत विकास नियोजन में शामिल कराया है।	55 गांव के लोग जानते हैं कि जैव विविधता और पारिस्थिक तंत्र संतुलन से ही जीवन की समृद्धि संभव है।	56
48	47 जंगली जानवर व आवारा पशु खेती के समय खेतों में उजाड़ करते हैं। इस वजह से कुछ लोगों ने खेती करना छोड़ दिया।	46	45 जल,जंगल, जमीन, जन और जैव विविधता सभी को ध्यान में रखते हुए विकास योजना तैयार व क्रियान्वित की जाती है।	44 गांव का हर परिवार ग्राम चारागाह विकास समिति का सदस्य है।	43 लोगों की सहभागिता से नियोजन और कार्य नहीं होता।	42 लोगों की सहभागिता से महात्मा गांधी नरेगा का नियोजन होता है।	41 लोगों की सहभागिता से महात्मा गांधी नरेगा का नियोजन होता है।
33 शामलात संसाधनों का सीमाज्ञान कराया है। निशानदेही कर उसे सुरक्षित किया है। शामलात भूमि का पंचायत रजिस्टर प्रपत्र 21 में संधारण है।	34 जल स्रोतों के सशक्त होने के कारण पानी ठहरता नहीं है। पेड़ पौधे भी समाप्त हो गए। जानवर व पक्षी दिखाई नहीं देते। पानी पीढ़ी के सामने आने वाले संकट को जानते हुए भी अनजान हैं। महिलाएं जल स्रोतों को लेकर बनी सांस्कृतिक परंपराओं को त्याग रही हैं या दूसरे गांव के स्रोतों पर जाकर पूरा करती हैं।	35 जैव विविधता समिति, ग्राम चारागाह विकास समिति, जल प्रबंधन समिति, पंचायत की उत्पादन एवं विकास की स्थाई समिति आपसी समन्वय से काम करती हैं।	36	37 जैव विविधता समिति गठन सहभागी तरीके से नहीं हुई।	38 विविधता अधिनियम, 2 एवं राजस्थान जैव विविधता नियम 23 (2) के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर जैव विविधता समिति का गठन किया है।	39	40 पशु कमजोर हो गए हैं। दूध की उपलब्धता घटने से कुपोषण भी बढ़ रहा है।
32 लोगों ने अपने खेतों में लुप्त हो रहे पेड़–पौधों की प्रजातियों को बचाने का काम शुरू किया है। सेवण, धामण, फोग और खेजड़ी पनपने लगी है।	31	30 समिति निष्क्रिय है। समिति के बारे में लोगों को पता नहीं है।	29	28 योजनाओं में पैसा खर्च होता है परंतु असरकारक कार्य नहीं होता। लोग इसकी निगरानी नहीं करते।	27	26 जल स्रोतों एवं चारागाह को नियमित व प्रबंधित करने पर विचार होता है। लोग समिति के सभी कामों में मदद करते हैं।	25
17 पानी व चारे की उपलब्धता की टिकाऊ व्यवस्था है	18	19 आमदनी का बड़ा हिस्सा पानी और चारे पर खर्च होता है। खेती और पशुपालन से आय भी कम	20 पानी व चारागाह की गुणवत्ता व उपयोगिता बनी हुई है।	21	22 महात्मा गांधी नरेगा में कुछ ही लोगों को रोजगार मिला है।	23 ग्राम पंचायत के सहयोग से समुहिक संसाधनों का विकास कराते हैं। प्रबंधन के स्पष्ट नियम एवं पालना का तरीका निर्धारित किया है।	24 ग्राम चारागाह विकास समिति नियमित बैठक करती है। ग्रामसभा में मुद्दों पर चर्चा कर निर्णय होते हैं।
16	15 जैव विविधता विकास एवं प्रबंधन समिति ने गांव का जैव विविधता रजिस्टर बनाया है। क्षेत्र की सभी वनस्पतिक एवं जैविक प्रजातियों का विवरण दर्ज किया। घट रही प्रजातियों के संरक्षण का नियोजन बनाया है।	14 ग्राम चारागाह विकास समिति का गठन नहीं हुआ।	13 पानी व चारागाह के देखभाल की सामुदायिक व्यवस्था नहीं है।	12 पानी व चारागाह उपयोग के नियम बने हैं, पालन होता है।	11 पानी व चारागाह के उपयोग के नियम पूर्वजों ने बनाए थे। अब कोई पालन नहीं करता।	10	9
1 पानी व चारागाह के विकास व प्रबंधन के लिए समुदाय की समिति बनी है।	2 संसाधन खराब हो गए। चारा व पानी बाहर से खरीदना पड़ता है।	3	4 पानी और आगौर की मिट्टी का अनियंत्रित व्यापार होता है। आगौर के कुछ हिस्सों में कब्जे हैं।	5 शामलात संसाधनों को ठीक रखने के लिए कोई पहल नहीं है।	6 गांव पारंपरिक संसाधनों से होने वाले दो तरफा लाभ से वंचित हैं।	7 पारंपरिक जलस्रोत काम के नहीं रहे। घास–चारे की विविध प्रजातियां खत्म हो गई।	8 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 170 (1) के तहत ग्राम चारागाह विकास समिति का गठन हुआ है

8'x8' 1 print